बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022 5173 पटना, दिनांक 23/12/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 851 दिनांक 13.09.2022 द्वारा मो0 हिफजुल्लाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN003144) के विरूद्ध समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने की नीयत रखने, रयतों को गलत ढ़ंग से बढ़ावा देकर आरोप–प्रत्यारोप करवाकर माहौल बिगाड़ने एवं रैयतों से राशि वसूली करने से संबंधित कतिपय आरोप प्रतिदित करते हुए चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 3063 दिनांक 01.11.2022 द्वारा आरोपित से संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण 03 दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4005 दिनांक 09.11.2022 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी को मंतव्य भेजने हेतु निदेशित किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1259 दिनांक 18.11.2022 द्वारा मंतव्य दिया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि आरोपित का आम रैयतों के बीच छवि निष्पक्ष नहीं है एवं रिश्वतखोरी के साक्ष्य को नकारने के लिए जिस तर्क का सहारा लिया गया है उस संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि सरकार द्वारा आम जनता की जागरूकता हेतु जो हैण्डविल प्रचारित किए गए हैं, उस कागज को फाड़कर उसकी पीठ पर लिख कर उपयोग किए जाने को आपत्तिजनक बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बंदोबस्त पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि इन पर लगाए गए आरोप सुनियोजित एवं सोची समझी साजिश है। इनके द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनपर लगे आरोप को खंडित करता हो।

आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त स्पष्टीकरण तदनुसार बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य/अभिलेख नहीं दिए हैं। आरोपित के इस तरह के कृत्य से सर्वे जैसे महत्वपूण कार्य की छवि आम जन में धूमिल हुई है। इस तरह के कृत्यों का अन्य कर्मियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिगत इन्हे सेवा मे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत मो0 हिफजुल्लाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN003144) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप
23/12/22

२०५८३०

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022 4713 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– मो0 हिफजुल्लाह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN003144), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022 4713 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27 / 2022 4713 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप